ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-9* December-2020
Anthology : The Research

भारतीय संविधान में महिला उत्थान के प्रयास : सिद्धांत एवं व्यवहार

Principles and Practices for the Effort of Women in Indian Constitution

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

किरण शर्मा
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

संपूर्ण विश्व में महिला उत्थान एवं महिला अधिकारों के लिए संघर्ष चलता रहा है । इतिहास के पृष्टो से देखने पर कुछ महिला हितों की धारा को भी देखा जा सकता है। पुरुषों के अधीन रहना महिलाओं ने सहा जरूर है किंतु पूर्णतया इस अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। किसी भी देश की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री– पुरुष दोनों का अनिवार्य रूप से विकास हो किंतु रूढ़िवादी ढांचे में महिला को अनेक प्रकार से जकड़ दिया गया था। परंपरागत रूढ़िवादी प्रथाओं के कारण महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो गई। अतः दयनीय अवस्था से महिलाओं को निजात दिलवाने हेतु ठोस उपाय के रूप में संवैधानिक उपबंधो की सहायता ली गई।

The struggle for women's uplift and women's rights has been going on all over the world. Some female interests can also be seen from the history page. Women have endured subjection to men, but have not fully accepted this subordination. For the progress of any country, it is necessary that both men and women must have an inevitable development, but in the orthodox structure, women were held in many ways. The position of women became even more pathetic due to traditional conservative practices. Therefore, the help of constitutional provisions was taken as a concrete measure to get women out of a miserable state.

मुख्य शब्द : संवैधानिक उपबंध, महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण, नीतियां, योजनाएं।

Constitutional Provisions, Women's Upliftment, Women Empowerment, Policies, Schemes.

प्रस्तावना

राष्ट्र की प्रगति के लिए स्त्री पुरुष दोनों का साहचर्य अनिवार्य है किंतु भारत में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे पर बनी हुई है।भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें जीवन का चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो अथवा आर्थिक क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष आधिपत्य का आभास होता है। अनेक काल खंडों से महिलाओं का शोषण, दमन होता आया है।महिलाओं के लिए प्रागैतिहासिक एवं वैदिक काल सबसे संपन्न काल रहा ।

इस काल की महिला, पुरुष के समान संपूर्ण सुख एवं वैभव का उपभोग करती थी। इस काल के धार्मिक ग्रंथों में स्त्री सर्वोच्चता के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं ।उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट अवश्य आई किंतु सम्मान पहले के जैसा ही बना हुआ था। धीरे–धीरे समाज में बहुविवाह जैसी कुप्रथा ने आगमन किया और महिलाओं की स्थिति बदतर होने लगी ।इतिहास के काल खंडों में महिलाओं के लिए आवाज भी उठी किंतु प्रचलित कुप्रथाओं एवं बिना ठोस उपाय के संघर्ष की आवाज को दबा दिया गया ।भारत में शासकों के शासनकाल के दौरान भी महिला उत्थान के प्रयास हुए किंतु चारों तरफ से असहाय महिलाओं को वांछनीय सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। महिलाओं का क्रय –विक्रय वस्तुओं की भांति होने लगा । अमानवीय हिंसा का दौर प्रारंभ होने लगा। अनेक कालो से महिलाओं का दमन, शोषण होता रहा ।स्त्री जाति को इस दमन तथा शोषण से बचाने हेतु अनेक प्रयास भी किए गए। धार्मिक असहिष्णुता तथा सामाजिक एवं आर्थिक गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता और समानता के सामूहिक स्वर तीव्र होने लगे । इन तीव्र होते स्वरों ने मानव

अधिकारों के विचार की नींव रखी।[1]स्वतंत्रता पूर्व समाज सुधारकों के द्वारा महिला उत्थान के प्रयास किए गए। स्वतंत्रता पश्चात महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने हेतु ठोस उपाय के रूप में भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए। सशक्त विधान के रूप में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों के साथ 22 भागों को 1950 में लागू किया गया।

संवैधानिक उपबंधो के द्वारा भी महिला अधिकारों एवं महिला उत्थान पर जोर दिया गया। सर्वप्रथम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में महिला पुरुष को समान माना गया।[2]अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय ,समानता ,स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की भावना को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में स्त्री– पुरुष के मध्य विभेद नहीं माना गया है । किंतु व्यवहारिकता में ऐसा होता तो महिलाओं के लिए अन्य संवैधानिक उपबंधो की आवश्यकता ही नहीं होती। स्त्री पुरुष असमानता की खाई को पाटने में अभी समय शेष है। यद्यपि भारतीय संविधान में स्त्री– पुरुष को समान माना गया है किंतु महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए स्पष्ट होता है कि समानता के ठोस उपाय केवल कागज के पृष्ठो तक सीमित है।अनुच्छेद –14 के अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है।[3]स्त्री, पुरुष दोनों को कानून के समक्ष समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता किंतु व्यावहारिक रूप से देखने में आता है कि महिलाओं को अपने अधिकारों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है ।जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों का पक्ष पोषण नहीं कर पाती है। अनुच्छेद –15 के तहत स्त्री, पुरुष में धर्म ,जाति ,लिंग ,जन्म स्थान, मूल वंश आदि में भेद नहीं किया जाएगा।भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि स्त्री पुरुष को समान माना जाएगा दोनों में किसी भी प्रकार का विभेदक अमान्य होगा। किंतु सूक्ष्म विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि स्त्री, पुरुष समानता के प्रावधान केवल संविधान में वर्णित है। व्यवहारिकता यह है कि आज भी स्त्री, पुरुष के मध्य अनेक विभेदक विद्यमान है ।

अनुच्छेद 19 के अंतर्गत महिला ,पुरुष दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार दिया गया है। ताकि महिलाएं भी कार्य का अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर अपना विकास कर सकें।परंतु ऐसा देखा जाता है कि अपने अधिकारों के लिए महिलाओं को कानूनी सहायता तक लेने की आवश्यकता पड़ती है। अनुच्छेद 23, 24 के द्वारा महिलाओं को गरिमामय जीवन यापन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। महिलाओं के विरुद्ध शोषण का निषेध किया गया है । किन्तु महिलाओं के खिलाफ नए– नए किस्म के अपराध, हत्या, लूट आदि के तरीके सक्रिय होते जा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के हवाले से कहा जा सकता है कि अकेले राजस्थान में 1314 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई।[4]कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी महिलाओं एवं बालिकाओं का शोषण से संरक्षण नहीं हो पा रहा है । अनुच्छेद 39(क) के द्वारा महिलाओं को भी आर्थिक रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों को प्राप्त करने का अधिकार देय है।[5]इस अनुच्छेद की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण प्राप्ति में रियायत भी दी गई है। इसके अनुसार महिलाओं को आजीविका के साधन जुटाने हेतु ऋण की दरों में छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39(ड) के अंतर्गत भी महिलाओं के उत्थान हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है।संवैधानिक रूप से यह प्रावधान कारगर भी साबित हो रहा है परंतु वास्तविकता की तह में देखने से ज्ञात होता है नीजी क्षेत्रों या संस्थाओं में स्त्री, पुरुष के मध्य समान कार्य के लिए समान वेतन कानून दिखाई नहीं देता है। इस प्रावधान का प्रभाव सरकारी क्षेत्र में अवश्य देखा जा सकता है। निजी क्षेत्रों में महिला को महिला होने के नाते कम आंका जाता है तथा पारिश्रमिक में अंतर को देखा जा सकता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा दी गई है [6]महिलाओं को विशेष मातृत्व लाभ की सुविधा मुहैया करवाई गई । परंतु निजी क्षेत्रों में ऐसी किसी सुविधा से महिलाओं को वंचित रखा जाता है ।प्रसूति अवकाश के कारण कभी–कभी उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है ।अनुच्छेद 51 (क)(ड) में महिला उत्थान को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है कि महिलाओं के खिलाफ प्रचलित कुप्रथा का परित्याग किया जाएगा । सामाजिक कुप्रथाओं के कारण महिलाओं को दहेज हत्या, कन्या शिशु वध ,अपहरण आदि का शिकार होना पड़ता है। आए दिन अखबार की सुर्खियों में नारी शोषण एवं उत्पीड़न को बयां किया जा रहा है । राजनीतिक रूप से भी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 243 (घ)के अंतर्गत स्थानीय स्तर की राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से स्थानीय संस्थाओं मेंएक तिहाई सदस्य स्थान आरक्षित किए गए हैं।[7]ताकि महिलाओं को भी स्थानीय स्तर की राजनीति में प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हो।73वे तथा 74वे संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया परंतु अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रावधान के तहत महिलाओं को स्थान तो दे दिया जाता है किंतु प्रतिनिधि महिलाओं के स्थान पर उनके पारिवारिक पुरुष सदस्यों के द्वारा ही पंचायती स्तर के कार्य संपादित किए जाते हैं। महिलाओं को राजनीतिक रूप से नए अवसरों का लाभ नहीं मिल पाता है।

अनेक संवैधानिक प्रावधानों के बाद भी महिलाओं को इच्छित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। महिला उत्थान के लिए विभिन्न सरकारों के द्वारा भी समय–समय पर अनेक अधिनियम एवं नीतियों को पारित किया जाता रहा है।इन अधिनियमों तथा योजनाओं को संचालित करने का उद्देश्य महिला उत्थान तथा महिला सशक्तिकरण में सहयोग देना रहा है। इन अधिनियम के तहत महिलाओं तथा बालिकाओं को सशक्त कर आत्मनिर्भर बनाना होता है। इन में प्रमुख है– महिलाओं तथा बालिकाओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956,महिलाओं को प्राप्त प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 आदि ।महिला उत्थान के लिए

विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन भी किया जाता रहा है । इनमें है– बालिका समृद्धि खाता योजना,किशोरी शक्ति योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, निशुल्क साइकिल वितरण योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना,गार्गी पुरस्कार योजना आदि योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर महिला उत्थान को प्रोत्साहित करना है।

अध्ययन के उद्देश्य

भारतीय संविधान में महिला उत्थान के लिए प्रयास किए गए। संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा महिला उत्थान को आगे बढ़ाया गया। इनमें महिलाओं के लिए किए गए प्रयासों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों को उठाया गया, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार किया जा सके। संविधान में अनेक प्रावधान भी ऐसे जोड़े गए जिनसे आर्थिक संबल के साथ महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिले।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा पारित अधिनियम एवं कानूनों के द्वारा महिला उत्थान के प्रयास किए जा रहे हैं किंतु असंख्य कानूनों एवं विधियों के बावजूद इन कानूनों को सफलता प्राप्त नहीं हो रही है । कानूनों एवं नीतियों की व्यावहारिकता को देखा जाए तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न ,शोषण आज भी प्रचलित है। कितने ही मामले अखबारों के लिए राजनीतिक रूप से उजागर करने का मसाला बन जाते हैं और कितने ही मामलों का समय पर निस्तारण नहीं हो पाता है और कितने ही मामले पारिवारिक अथवा समाज के दबाव में दबा लिए जाते हैं। संवैधानिक उपबंधो या अधिकारों की जानकारी, महिलाओं को पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है। कानूनी दांवपेच की अस्पष्टता से अनभिज्ञ होने के कारण भी महिलाएं अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहती है। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई स्थान प्राप्त हो गए हैं किंतु वास्तविकता यह है कि स्थानीय संस्थाओं से लेकर संसद तक में महिलाओं को एकतिहाई स्थान प्राप्त करने में अभी सफलता शेष है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *प्रशाद रिजर्वेशन पॉलिसी एंडप्रैक्टिस इन इंडिया मिन्स टू इन एंड दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली,1991,P–17*
2. *सिंहवी एन, सिंहजनमेजय, आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण रावत प्रकाशन, जयपुर,2010 P–271*
3. *पाण्डेयजे एन भारत का संविधान सेंट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद,2001,P–77*
4. *www.amarujala.com*
5. *मंगलानीरूपा भारतीय शासन एवं राजनीति राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी, जयपुर,2011,P–153*
6. *सिंहवी एन,सिंहजन्मेजय आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण रावत प्रकाशन, जयपुर ,2010,P– 274*
7. *धावनहरिमोहन,कुमारअरुण महिला आरक्षण एवं भारतीय समाज रावत प्रकाशन, जयपुर,P–67*